

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 58 सन 2020

अनवान :-

1. राजराम पुत्र बिरबलराम उर्फ बीरूराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. बिरबलराम उर्फ बीरूराम पुत्र रामुराम जाति जाट साकिन कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. कासीराम पुत्र बीरबलराम उर्फ बीरूराम जाति जाट साकिन कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. रणजीत पुत्र बीरबलराम उर्फ बीरूराम जाति जाट साकिन कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. शामती पुत्री बीरबलराम उर्फ बीरूराम जाति जाट साकिन कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
परोकार राज

निर्णय दिनांक :- 26/08/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 326/289 की कुल 19.16900 हैक् खाता संख्या 333/271 की कुल 0.506 हैक् एवं रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 156/161 की 1.3910 हैक् खाता संख्या 182/187 की कुल 7.1070 हैक् में सयुक्त तौर से 15-13/20 हिस्सा में 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के दादा रामुराम पुत्र भोमाराम के नाम से पूर्व में दर्ज थी वादी के दादा ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से अर्जित की गई भूमि वादी के दादा रामुराम पुत्र भोमाराम के देहान्त होने पर वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी के पिता के नाम से दर्ज भूमि सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी के दादा पुरखाराम ने सयुक्त परिवार की आय एवं पैतृक सम्पत्ति से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से करवाई की गई थी सयुक्त परिवार की आय एवं पैतृक सम्पत्ति की आय से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी तथा वादी के दादा रामुराम पुत्र भोमा के देहान्त होने के बाद वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वह पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है

प्रतिवादी संख्या 4 वादी की बहन है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसका आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के हक हिस्सा की भूमि वादी के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से वादी के खातेदार अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 अपने वाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता रामुराम पुत्र भोमा ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पत्ति की आय से वाद भूमि उसके प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का पिता है के नाम से करवाई गई थी रामुराम पुत्र भोमाराम के देहान्त होने के बाद वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जो सयुक्त परिवार की सम्पत्ति है अर्थात् पैतृक सयुक्त परिवार की सम्पत्ति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों अर्थात् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 4 जो वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उसने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयो / पिता के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है एवं अपने कथनों के समर्थन में जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाब भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया गया है एवं प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात् उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा कांजसर के खाता संख्या 326/289 की कुल 19.16900 हैक् खाता संख्या 333/271 की कुल 0.506 हैक् एवं रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 156/161 की 1.3910 हैक् खाता संख्या 182/187 की कुल 7.1070 हैक् में सयुक्त तौर से 15-13/20 हिस्सा में 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के दादा रामुराम पुत्र भोमाराम के नाम से पूर्व में दर्ज थी वादी के दादा ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से अर्जित की गई भूमि वादी के दादा रामुराम पुत्र भोमाराम के देहान्त होने पर वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी के पिता के नाम से दर्ज भूमि सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी के दादा पुरखाराम ने सयुक्त परिवार की आय एवं पैतृक सम्पत्ति से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से करवाई की गई थी सयुक्त परिवार की आय एवं पैतृक सम्पत्ति की आय से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी तथा वादी के दादा रामुराम पुत्र भोमा के देहान्त होने के बाद वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वह पैतृक

सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है

प्रतिवादी संख्या 4 वादी की बहन है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसका आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकवाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है तथा न्यायाधिक दृष्टान्त आर.आर. डी 1998 पेज 646 एवं आरआरसी 2001-पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारों के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है तथा सयुक्त परिवार की आय से अर्जित सम्पत्ति में सयुक्त परिवार के सभी सदस्यों को बराबर का हक हिस्सा होगा इसप्रकार न्यायाधिक दृष्टान्त भी प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होते हैं अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पैरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 326/289 की कुल 19.16900 हैक खाता संख्या 333/271 की कुल 0.506 हैक एवं रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 156/161 की 1.3910 हैक खाता संख्या 182/187 की कुल 7.1070 हैक में सयुक्त तौर से 15-13/20 हिस्सा में 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015 मिलान क्षेत्रफल जमाबन्दी भू0प्रबन्ध विभाग के अनुसार रोही मौजा कानसर एवं देवासर की भूमि वादी के दादा रामुराम पुत्र भोमाराम के नाम से दर्ज थी जिसके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी के दादा रामुराम पुत्र भोमा ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पत्ति की आय से कुछ भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से करवाई गई थी वादी के दादा के देहान्त होने पर विरास्तन से वादी के पिता के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी के पिता के नाम से दर्ज भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का हक हिस्सा है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसके नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि सयुक्त परिवार की आय की सम्पत्ति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है प्रतिवादी संख्या 4 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकवाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल निसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं की सयुक्त परिवार की आय एवं

पैतृक सम्पत्ति की आय से खरीद/अर्जित की गई सम्पत्ति भी पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी में होगी पैतृक सम्पत्ति होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 326/299 की 9.168हैक् भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में से खाता संख्या 326/299 के खसरा न0 195/2 की 9.168हैक् वादी के पास रहेगी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पास खसरा न0 1124 की 3.958हैक् भूमि व खसरा न0 195/1 की 1.265हैक् दक्षिणी पूर्वी दिशा रहेगी एवं प्रतिवादी संख्या 3 के पास खसरा न0 1126 की 5.299हैक् भूमि एवं रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 156/161 की 1.3910हैक् एवं खाता संख्या 182/187 की कुल 7.1070हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/08/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. राजराम पुत्र बिरबलराम उर्फ बीरूराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. बिरबलराम उर्फ बीरूराम पुत्र रामुराम जाति जाट साकिन कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

2. कासीराम पुत्र बिरबलराम उर्फ बीरूराम जाति जाट साकिन कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

3. रणजीत पुत्र बिरबलराम उर्फ बीरूराम जाति जाट साकिन कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

4. शामती पुत्री बिरबलराम उर्फ बीरूराम जाति जाट साकिन कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 58 सन 2020 निर्णय दिनांक- 26/08/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 326/299 के खसरा न0 195/2 की 9.168हैक वादी के पास रहेगी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पास खसरा न0 1424 की 3.958हैक भूमि व खसरा न0 195/1 की 1.265हैक दक्षिणी पूर्वी दिशा रहेगी एवं प्रतिवादी संख्या 3 के पास खसरा न0 1126 की 5.299हैक भूमि एवं रोही मौजा देवासरा के खाता संख्या 156/161 की 1.3910हैक एवं खाता संख्या 182/187 की कुल 7.1070हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय-वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)